उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन कमांक A/2217/चार–12–12/2023 जबलपुर, दिनांक 27-4/2023

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश .....(समस्त).....मध्यप्रदेश,
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय .....(समस्त).....मध्यप्रदेश,
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर, मध्यप्रदेश,
4. कोषालय अधिकारी .....(समस्त).....मध्यप्रदेश,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :– मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी, कार्य विभाग, भोपाल, का पत्र फा.क्रमांक 1657/21–ब (एक)/2023 भोपाल, दिनांक 18.04.2023 सहित।

(अजय पवार)
रजिस्ट्रार (एम.)

उच्च न्यायालय म.प्र.
18 APR 2023
जबलपुर

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 1657/21–ब(एक)/2023 भोपाल, दिनांक 18/04/2023

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः– **मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को दिनांक 01.01.2023 से पुनरीक्षित दर से पेंशन पर राहत राशि के भुगतान बावत्।**

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा ऐसे केन्द्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों को जिन्हें सातवे वेतनमान का लाभ प्राप्त न होकर छटवे वेतनमान में लाभ प्राप्त हो रहा है को उनके ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008–ई–II(बी), दिनांक 10/04/2023 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा पूर्व पुनरीक्षित (छठवा वेतनमान) में मंहगाई भत्ता दिनांक 01/01/2023 से 212 प्रतिशत से बढ़ाकर 221 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम–11(3) के अंतर्गत न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त सदस्यों को सेवारत सदस्यों के समान ही महंगाई भत्ता/राहत की पुनरीक्षित दरें लागू होंगी।

अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम–11(3) के अंतर्गत मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को दिनांक 01.07.2022 से पेंशन पर राहत 212 प्रतिशत से बढ़ाकर 221 प्रतिशत की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(1) पुनरीक्षित दरों से महंगाई राहत का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008–ई–II(बी), दिनांक 10.04.2023 में बताई गई रीति से होगा।

(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक 1/3(1)/2008-E.II(B) दिनांक 29.08.2008 के पैरा–3, 4 और 5 में उल्लेखित शर्तें उक्त महंगाई भत्ते पर भी लागू रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(बी.के.द्विवेदी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

DA Orders of Judicial Officers

पृ. फा.क्रमांक 1657 / 21–ब(एक) / 2023 भोपाल, दिनांक 18 / 04 / 2023

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर / ग्वालियर,
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यककल्याणविभाग,मंत्रालय,भोपाल,
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल,
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय भोपाल,
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
12. रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल,
13. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल,
14. रजिस्ट्रार, म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल,
15. रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनीवर्सिटी, भोपाल,
16. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल,
17. रजिस्ट्रार, मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
18. सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवाल, भोपाल,
19. अतिरिक्त सचिव, स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
20. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
21. प्रधान महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
22. समस्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,
23. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, पर्यावास भवन, भोपाल,
24. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल,
25. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
26. संभागीय पेंशन अधिकारी, सतपुड़ा भवन,प्रथम तल, भोपाल,
27. समस्त कोषालय, अधिकारी, मध्यप्रदेश,
28. श्री एम.आर. पाण्डे, अध्यक्ष म.प्र. न्यायिक सेवानिवृत्त संघ, 192, न्याय नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) पिन–452010,
29. उप सचिव, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,
30. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश,
31. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड भोपाल
32. इलाहबाद बैंक ऑफिस कॉम्पलैक्स गौतम नगर भोपाल
33. बैंक ऑफ बाडोदा 202, जोन 1, गंगा जमुना कॉम्पलैक्स एम.पी नगर भोपाल
34. बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
35. यूनाईटिड बैंक ऑफ इंडिया 52, होटल ताज बिल्डिंग हमीदिया रोड भोपाल
36. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9, अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
37. पंजाब नैशनल बैंक ऑफ एफ.जी.एम ऑफिस नियर अरेरा हिल्स भोपाल
38. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एफ.जी.एम ऑफिस नियर गवर्मेंट प्रेस अरेरा हिल्स भोपाल

39. अवर सचिव, मानिटरिंग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु) विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
40. प्रभारी अनुभाग अधिकारी, विधि एवं विधायी कार्य विभाग,भोपाल,
41. प्रधान महालेखाकार, अन्य राज्य.....
42. रजिस्ट्रार, म.प्र. औद्यौगिक न्यायालय, मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(उमेश पाण्डव)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

No. 1/3(1)/2008-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
****

North Block, New Delhi
Dated the10th April, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revised rates of Dearness Allowance to the employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/Grade Pay as per 6th Central Pay Commission

---

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 1/3(1)/2008-E.II(B) dated 12th October, 2022 on the subject mentioned above and to say that the rate of Dearness Allowance (DA) in respect of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies, who are continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/Grade Pay as per 6th Central Pay Commission, shall be enhanced from the existing rate of 212% to **221%** of Basic Pay w.e.f. 01.01.2023.

2. The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M.No.1(3)/2008-E.II(B) dated 29th August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3. The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice of all organisations under the administrative control of the Ministries/Departments which have adopted the Central Government scales of pay.

(Dr. Vivek Dwivedi)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments of the Govt. of India (as per standard distribution list)

Copy to: C&AG, UPSC, etc.(as per standard endorsement list).

B-1

10566